भाग-।।

## (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा प्रस्ताव कम संख्या—FP/UP/RAIL/44309/2020 जाना है)

योजना/स्कीम का स्थान	रेल विकास निगम निगिरेन नामानी जन करने के के
याजना/ स्क्राम का स्थान	रेल विकास निगम लिमिटेड वाराणसी द्वारा भटनी—औड़ीहार रेल मार्ग (किमी01.000 से 28.226) के दोहरीकरण के कार्य हेतु आवश्यक 38.8283 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग
	एवं 2052 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में ।
I-राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ०प्र० राज्य
II–जिला	देवरिया
111-वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया
IV-वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि क	T 38.8283 हे0
V-वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
VI—प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0—4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	संलग्न है।
VII-हरियाली का घनत्व	0.4
VIII–भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता का संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण के लिये सम्वेदनशील नहीं है।
IX—वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0.00
X—क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिर्जव बाघ, रिर्जव हाथी कारीडोर आदि का भा है (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डर की टिप्पणियॉ अनुबन्धित की जाय)।	लागू नहीं
XI—क्या क्षेत्र मे वन स्पति और प्राधिजगत की दुलर्भ/सकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ/तो सत्सम्बन्धित ब्यौरा दें ?	नहीं
7—क्या कोई सुरक्षित पुराततीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ,यदि अपेक्षित हो तो।	लागू नहीं
3–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांच गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है
—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ⁄नहीं) यदि हो तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन कार्य अभी भी वल रहे है।	नहीं
0प्रतिपूरक वनीकरण स्क्रीम का ब्यौरा ।) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित नेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास के वन ने इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्याप्रत्येक 1ू-खण्ड का आकार	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर द्वारा संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।

(।।)प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस–पास को वन सीमाओं को दर्शाता मैप	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
(।।।) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्क्रीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढ़ाचा आदि	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये स्क्रीम के लिये क <u>ल वित्तीय परिव्यय</u> (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपायुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकार से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी । जक्त प्रस्ताव में कुल 162.8776 है0 संरक्षित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है एवं 4 वन खण्ड देवरिया, बलिया, मऊ एव गाजीपुर की संरक्षित वन भूमि अपेक्षित है एवं वन प्रभाग खण्ड गांजीपुर में सबसे ज्यादा 61.1824 संरक्षित वन भूमि आवश्यक है। अतः दोगुनी अवनत वन भूमि (326 हे0) काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वांरा आरक्षित की गयी है। जिसकी सभी सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,गाजीपुर द्वारा संलग्न की जायेगी ।
11—जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम—7(XI,XII) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से अपेक्षित है।
12–विभाग/जिला प्रोफाइल	सा०वा०प्रभाग,देवरिया,जनपद-देवरिया मो० नं० 7839435132
(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2527.20 वर्ग कि0मी0 या 252720.00 हे0
(11) जिले का वन क्षेत्र	264.345 克0
(।।।) मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	14/118.198618 乾0
(IV) 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
V) तक प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	रिक्त
क) वन भूमि पर	0.99 हे0
ख) वनेत्तर भूमि पर	0.162
3–प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की वेशेष सिफारिश	प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेसित ।
देनांक - 03/12/2020	नाम – (दीनानम्य राय) प्रभागीय निदेशक

स्थान - 'डेकॉर्मा'

मुहर –

(दानानम्स्य राय) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया

## SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

## (For the Forest land to be diverted under FCA)

## Proposal No.: FP/UP/RAIL/44309/2020

**Name of Project:** "Protected forest land to be diverted for Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division -Deoria (From Km. 1.000 to 28.226) District -Deoria (Uttar Pradesh)."

A proposal has been received by this office from 09/10/2020 for diversion (under FCA-1980) of 38.8283 ha. Of forest land for non forestry purpose. The subject envisages the use of forest land for "Doubling of Existing Railway Track from (Km No.- 1.000 to 125.000) Bhatni – Aunrihar Railway line in Forest Division - Deoria (From Km. 1.000 to 28.226) District -Deoria (Uttar Pradesh)".

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated ......27/11/2020......On inspection of the site; it is found that land required by the user agency is a forest measuring 38.8283 ha. and 2052 Trees of different species are effected by felling.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project - **YES**()

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If so, the details thereof - NO ()

Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from component authority, if required - **NO()** 

- (a) The user agency has not violated the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without Proper sanction NO ()
- (b) It has been found that the user agency has violated the Forest (Conservation) Act, 1980 provisions.

(A detailed report as per 1.9 of Chapter 1, Part C of Hand book of Forest (Conservation) Act, 1980 is attached) - Not Applicable

(Note: Whichever of the above as applicable should be shown in bold letters) Forest land Proposed for Diversion Legal Status is Protected Forest (PF) Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

I recommend for acceptance of the proposal in public interest.

Place: Deoria Date: 27/11/2020

	V.
(Signature)	401
Name : D. N. Rai	नानाथ राय) भागीय निर्वेशक
Designation Divi	sional Forest Officer 1
Social Forestry D	ivision - Deoria
Official Seal	V

**Note:** As per letter no. 02.02.2000 FC dated 16.10.2000 from MoEF Govt. of India for Proposal involving less than 40 hectares for forest land the Site Inspection Report from DCF is required and for Proposal involving more than 40 hectares of the forest land Site Inspection Report from the Conservator of Forest is Required.